महत्वपूर्ण

संख्या-10/2022/388/86-2022-371/2005

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2022

विषयः- अवैध खनन/परिवहन को रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) का निम्नवत् गठन किया गया है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4.	उप जिलाधिकारी	सदस्य
5.	पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
6.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
7.	खान अधिकारी	सदस्य/सचिव

2. संज्ञान में आया है कि जिला टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन/परिवहन को रोकने हेतु आपस में समन्वय स्थापित नही किया जा रहा है तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यो में रूचि नही ली जा रही है। उक्त के दृष्टिगत आवश्यक है कि अवैध खनन/परिवहन के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य करते हुए, प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाये तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को माह के प्रथम सप्ताह में नियमित रूप ई-मेल cmo62.lko@gmail.com पर उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त कार्य में शिथिलता बरतने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही भी की जाय। जनपद स्तरीय मासिक बैठक में आप स्वयं प्रवर्तन कार्यो की प्रभावी समीक्षा कर लें तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों व कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्व नियमों के अधीन कार्यवाही करना सुनिश्चित कर लें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:388/86-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित कृपया प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा निदेषक, भूतत्व एवं खनिकर्म)।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।